न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2017

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
किशनाराम पुत्र मेहराराम जाति कुम्हार निवासी सोनड़ी तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2016 जो प्रकरण सं. 270/2016 मे नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री जेठाराम कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री सोहनलाल दवे, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश

दिनांक : 13/11/2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 270/2016 सरकार बनाम किशनाराम मे पारित निर्णय दिनांक 07.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बिशाला आगोर द्वारा नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोनड़ी के खसरा नम्बर 257/190 व 259/192 किस्म बारानी सोयम सरकारी भूमि मे से 14–00 बीघा भूमि पर गैर सायल किशना वल्द मेहरा द्वारा काश्त व कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल द्वारा अवैध कब्जा करना स्वीकार किया किन्तु अपना

जिला कलक्टर बाड़मेर

कब्जा/अतिक्रमण हटाना स्वीकार नहीं किया गया। इस पर नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 07.10.2016 के द्वारा 35.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ–साथ तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 21.02.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित रहने से हमने रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। अपीलांट के द्वारा इस अपील के द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं सिविल कारावास का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तलबी हेतु जारी नोटिस तामील होने पर अपीलांट न्यायालय में हाजिर हुआ तथा पत्रावली पर हस्ताक्षर अंकित करवाये गये। इसके पश्चात आगामी सुनवाई दिनांक 18.11.2016 नियत की गई तथा अपीलांट को वापस आने को कहा गया, जिस पर अपीलांट चला गया। इसके पश्चात अपीलांट की अनुपस्थिति में पेशी में कांट–छांट कर दूसरे दिन 18.10.2016 को नियत कर अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया हैं जिस बाबत अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर

जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रदान नहीं किया गया हैं जबकि विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उनकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार की सजा के संबंध मे निर्णय नहीं सुनाया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में न तो हल्का पटवारी के बयान दर्ज किये गये हैं और न ही अपीलांट को जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। अपीलकर्ता भूमिहीन है ऐसे मे अपने व अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु यदि सरकारी कृषि भूमि पर काश्त कर भी ली हैं तो उसे कथित रूप से अतिक्रमी अथवा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना कतई न्यायोचित नहीं होगा। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया हैं जिसकी जानकारी अपीलांट का सर्वप्रथम नकल दिनांक 24.01.2017 को प्राप्त होने पर हुई तथा जानकारी होने से अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही हैं तथा विलम्ब का सद्भाविक कारण जरिये शपथ पत्र प्रकट किया जा रहा है ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश अपास्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर के प्रकरण सं. 270/2016 में पारित अपीलाधीन निर्णय मय आदेश अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम सोनड़ी के खसरा नम्बर 257/190 व 259/192 किस्म बारानी सोयम सरकारी भूमि मे से 14–00 बीघा भूमि पर काश्त व अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट उपस्थित हुआ किन्तु प्रतिरक्षण हेतु जवाब/साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किये, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने इन्ही खसरों की सरकारी भूमि पर पूर्व में भी 14–00 बीघा पर अवैध काश्त कर कब्जा किया हैं जिसके लिये तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 155/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2015 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया गया था। इसके बावजूद पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा–काश्त करने पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं। लिहाजा अपीलांट की यह

जिला कलक्टर बाड़मेर

अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावे।

7. हमने अपीलांट के अपील मीमो में उल्लेखित आधारों एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम सोनड़ी के खसरा नम्बर 257/190 व 259/192 किस्म बारानी सोयम भूमि पर कब्जा–काश्त होना प्रकट किया है, किन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट की जानकारी में आने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं किन्तु प्रतिरक्षण स्वरूप जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया। इसी मुतनाता भूमि पर अपीलांट द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में भी 14–00 बीघा पर अवैध रूप से काश्त कर कब्जा किया था जिस पर उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई उपरांत अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष में भी अतिक्रमण किया गया हैं जिसके संबंध मे उल्लेख किया है कि वह भूमिहीन हैं तथा उसका पुराना कब्जा–काश्त हैं। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण का आधार नही हो सकता हैं। यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2016 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर नायब तहसीलदार द्वितीय बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 10:20:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: